

प्रेस नोट दिनांक 19.01.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना देल्हूपुर, जनपद- प्रतापगढ़

थाना देल्हूपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बरसंडा के निकट चेकिंग के दौरान थाना देल्हूपुर पुलिस व स्नॉट टीम से हुई मुठभेड़ में 01 शातिर अभियुक्त मो० नौशाद कुरैशी के दाहिने पैर में लगी गोली/ घायल -

अभियुक्त मो० नौशाद कुरैशी के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 02 अदद खोखा कारतूस, 02 अदद जिंदा कारतूस तथा 01 अदद मोटरसाइकिल पल्सर बरामद किया गया है।

घायल अभियुक्त मो० नौशाद कुरैशी उपरोक्त को चिकित्सकीय ईलाज हेतु जिला अस्पताल प्रतापगढ़ भेजा गया है-

दिनांक 16.01.2026 की रात्रि में दो गायों की चोरी व नदी किनारे अवशेष मिलने के संबंध में थाना देल्हूपुर पर मु०अ०सं० 02/2026 धारा 303(2) बीएनएस एवं 3/5/8 गौहत्या निवारण अधिनियम उ०प्र० बनाम अज्ञात अभियुक्त पंजीकृत किया गया था।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी निवासी ग्राम बरसण्डा, थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा थाना देल्हूपुर पर तहरीर दी गई कि दिनांक 16.01.2026 को रात्रि में वादी के दरवाजे पर बंधी उसकी दो गायों को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पगहा सहित खोलकर चोरी कर लिया गया। वादी द्वारा हल्ला-गुहार व खोजबीन के उपरान्त यह भी ज्ञात हुआ कि पड़ोसी की गायें भी चोरी हुई हैं। रात्रि में खोजबीन के दौरान अम्मा पुल जिन्नाथ बाबा के पुल के नीचे नदी किनारे आकाश सिंह की गायों से संबंधित कुछ अवशेष प्राप्त हुए थे। उक्त घटना के संबंध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 02/2026 धारा 303(2) बीएनएस व 3/5/8 गौहत्या निवारण अधिनियम उ०प्र० बनाम अज्ञात अभियुक्त पंजीकृत किया गया था।

घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में घटना के त्वरित अनावरण हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया था। गठित टीमों द्वारा सतत रूप से साक्ष्य संकलन, सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण एवं संभावित स्थानों पर लगातार दबिश दी जा रही थी। उक्त अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप

आज दिनांक 19.01.2026 को पुलिस टीमों द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए इसमें संलिप्त अभियुक्तों की पहचान एवं गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है।

इसी क्रम में आज दिनांक 19.01.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के नेतृत्व में थाना प्रभारी देल्हूपुर श्री राधेबाबू मय हमराह व स्नॉट टीम प्रभारी श्री अमित कुमार चौरसिया मय हमराह द्वारा सर्विलांस टीम के सहयोग से थाना देल्हूपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बरसंडा के छितपालगढ़ नहर से लिंक नहर होकर ग्राम बरसंडा जाने वाले मार्ग के बायीं ओर जंगल/झाड़ियों के पास चेकिंग के दौरान अभियुक्तों द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गयी, आत्म सुरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा जबाबी फायरिंग में हुई मुठभेड़ में 01 शातिर अभियुक्त मो० नौशाद कुरैशी पुत्र वकील अहमद, उम्र लगभग 41 वर्ष, निवासी ग्राम/मोहल्ला मौलाना, कस्बा मऊ आइमा, थाना मऊ आइमा, जनपद प्रयागराज के दाहिने पैर में लगी गोली/ गिरफ्तार किया गया। मौके से 03 अभियुक्त भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर भाग गये, जिनको शीघ्र ही गिरफ्तार किया जायेगा। घायल अभियुक्त मो० नौशाद कुरैशी उपरोक्त को चिकित्सकीय ईलाज हेतु जिला अस्पताल प्रतापगढ़ भेजा गया है।

अभियुक्त मो० नौशाद कुरैशी उपरोक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 02 अदद खोखा कारतूस, 02 अदद जिंदा कारतूस तथा 01 अदद मोटरसाइकिल पल्सर बरामद किया गया है। अभियुक्त का आपराधिक इतिहास खोजा जा रहा है। नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि हम चारों लोगों ने 3 दिन पहले ग्राम बरसण्डा से चोरी करके 3 गाय काटी थी। आज हम लोग अन्य गाय की रेकी के लिए घूम रहे थे आप लोगों को देखकर डर की बजह से भाग रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01. मो० नौशाद कुरैशी पुत्र वकील अहमद, उम्र लगभग 41 वर्ष, निवासी ग्राम/मोहल्ला मौलाना, कस्बा मऊ आइमा, थाना मऊ आइमा, जनपद प्रयागराज।

पुलिस टीम का विवरण-

थाना देल्हूपुर पुलिस-

टीम 01- थाना प्रभारी देल्हूपुर श्री राधेबाबू मय हमराह उ०नि० ध्रुव सिंह, उ०नि० मारकण्डेय सिंह यादव, का० यनेंद्र सागर, का० विनय पटेल मय चालक का० बृजमोहन चौधरी थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।

टीम 02- उ0नि0 रमेश तिवारी मय हमराह उ0नि0 राधेश्याम यादव व उ0नि वीरेन्द्र कुमार, उ0नि0 अतुल यादव का0 अतुल दुबे मय चालक विकास यादव थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

स्वॉट टीम- उपनिरीक्षक अमित कुमार चौरसिया, उपनिरीक्षक दिनेश सिंह, हे0का0 धनंजय राय, हे0का0 महेंद्र प्रताप, का0 अरविंद दुबे, का0 जागीर सिंह, का0 राजेंद्र कुमार, का0 आशुतोष पांडे, का0 सलमान ।

सर्विलांस टीम- हे0का0 यशवंत राठौर, का0 सनोज, का0 संजय यादव, का0 सूर्य प्रताप सिंह, मय चालक हे0का0 राजेंद्र प्रसाद ।

थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना पट्टी पुलिस द्वारा 04 जिन्दा देशी बम नाजायज के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

अभियुक्त को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत नहर ग्राम कलियनापुर नहर पटरी के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी पट्टी श्री आनन्द पाल सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 सचिन यादव मय हमराह उ0नि0 शुभम सिंह, का0 अभिषेक कुमार, का0 पंकज चौहान, म0का0 प्रिया मिश्रा द्वारा देखभाल क्षेत्र संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत नहर ग्राम कलियनापुर नहर पटरी के पास से 01 अभियुक्त दयाराम निषाद पुत्र लल्लन निषाद उम्र करीब 34 वर्ष निवासी ग्राम भौरियार थाना चांदा जनपद सुलतानपुर को 04 अदद जिन्दा देशी बम नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के पास से 04 अदद जिन्दा देशी बम नाजायज की बरामदगी के संबंध में थाना पट्टी में मु0अ0सं0 19/2026 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि0 1908 का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- दयाराम निषाद पुत्र लल्लन निषाद उम्र करीब 34 वर्ष निवासी ग्राम भौरियार थाना चांदा जनपद सुलतानपुर ।

बरामदगी- 04. अदद जिन्दा देशी बम नाजायज बरामद ।

पुलिस टीम का विवरण- उ0नि0 सचिन यादव मय हमराह उ0नि0 शुभम सिंह, का0 अभिषेक कुमार, का0 पंकज चौहान, म0का0 प्रिया मिश्रा थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा दहेज के लिए हत्या के अभियोग से संबंधित 03 अभियुक्तों व 01 अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार-

अभियुक्त/ अभियुक्ता को थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत तिलौरी मोड के आगे नहर के पास से गिरफ्तार किया गया-

घटना का संक्षिप्त विवरण –

आरोपी ससुरालीजन द्वारा वादी निवासी ग्राम बरई पनाहनगर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ की पुत्री (मृतिका) को अतिरिक्त दहेज की माँग को लेकर प्रताड़ित करना तथा दिनांक 18/01/2026 को आरोपी ससुरालीजनों द्वारा वादी की पुत्री को जान से मार दिया गया । जिसमे वादी की तहरीर के आधार पर पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं 12/2026 धारा 85/80 (2)/103 (1) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कुण्डा श्री अवन कुमार दीक्षित के नेतृत्व में उ0नि0 राजकुमार मय हमराह हे0का0 अरविन्द सिंह, का0 रामप्रताप सिंह, म0का0 दीपान्जली गुप्ता, म0का0 प्रिया शुक्ला द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं 12/2026 धारा 85/80 (2)/103 (1) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना कुण्डा प्रतापगढ़ से संबंधित 04 अभियुक्त/ अभियुक्ता, 01. अभियुक्त राजेन्द्र पटेल पुत्र हरिश्चन्द्र पटेल उम्र 23 वर्ष, 02. अभियुक्त हरिश्चन्द्र पटेल पुत्र पच्छूपटेल उम्र 53 वर्ष, 03. अभियुक्त रमेश पटेल पुत्र हरिश्चन्द्र पटेल उम्र 20 वर्ष, 04. अभियुक्ता मालती देवी पत्नी हरिश्चन्द्र पटेल उम्र 45 वर्ष समस्त निवासीगण ग्राम झलियन का पुरवा

थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ को थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत तिलौरी मोड के आगे नहर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता का विवरण-

01. अभियुक्त राजेन्द्र पटेल पुत्र हरिश्चन्द्र पटेल उम्र 23 वर्ष,
02. अभियुक्त हरिश्चन्द्र पटेल पुत्र पच्छूपटेल उम्र 53 वर्ष,
03. अभियुक्त रमेश पटेल पुत्र हरिश्चन्द्र पटेल उम्र 20 वर्ष,
04. अभियुक्ता मालती देवी पत्नी हरिश्चन्द्र पटेल उम्र 45 वर्ष समस्त निवासीगण ग्राम झलियन का पुरवा थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़

पुलिस टीम- उ0नि0 राजकुमार मय हमराह हे0का0 अरविन्द सिंह, का0 रामप्रताप सिंह, म0का0 दीपान्जली गुप्ता, म0का0 प्रिया शुक्ला थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़

चोरी की घटना का सफल अनावरण, 02 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में, नगदी व जेवरात बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना उदयपुर पुलिस द्वारा घर की दीवार तोड़कर चोरी करने का सफल अनावरण 02 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में, व 06 अदद सफेद धातु के कंगन, 01 अदद सफेद धातु कान की बाली, 01 अदद सफेद धातु की अंगूठी, 06 अदद पीले धातु के टप्स, 01 अदद पीले धातु की अंगूठी व नगद 2785 /-रु0 चोरी के बरामद-

थाना उदयपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मुबारकपुर में अज्ञात चोरों द्वारा घर की दीवार तोड़कर बक्से का ताला तोड़ते हुए नगदी व जेवरात चोरी किए जाने के संबंध में थाना उदयपुर पर अभियोग पंजीकृत किया गया था, घटना का अनावरण/ अभियुक्तों की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा था-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 18.01.2026 को रात्रि अज्ञात चोरों द्वारा ग्राम मुबारकपुर स्थित वादी के घर की दीवार तोड़कर प्रवेश किया गया। वादी द्वारा मौके पर पहुंचकर देखने पर पाया गया कि बक्से का ताला तोड़कर नगदी व जेवरात चोरी कर लिए गए हैं। इस संबंध में थाना उदयपुर में मु0अ0सं0 10/26 धारा 305(A)/331(4) बीएनएस बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 संजय यादव मय हमराह उ0नि0 ओमप्रकाश

सिंह मय हमराह का० शत्रुघन द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु०अ०सं० 10/26 धारा 305(A)/331(4) बीएनएस से संबंधित 02 बाल अपचारी को थाना उदयपुर क्षेत्रान्तर्गत राजापुर कोट मोड के पास से गिरफ्तार किया गया।

बाल अपचारियों के कब्जे से 06 अदद सफेद धातु के कंगन, 01 अदद सफेद धातु कान की बाली, 01 अदद सफेद धातु की अंगूठी, 06 अदद पीले धातु के टप्स, 01 अदद पीले धातु की अंगूठी व नगद 2785/-रु० चोरी के बरामद किये गये। उक्त बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317 (2) बीएनएस की बढोत्तरी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

बाल अपचारी का विवरण- 02 बाल अपचारी

बरामदगी-

1. 06 अदद सफेद धातु के कंगन,
2. 01 अदद सफेद धातु कान की बाली,
3. 01 अदद सफेद धातु की अंगूठी,
4. 06 अदद पीले धातु के टप्स,
5. 01 अदद पीले धातु की अंगूठी
6. नगद 2785/- रु० चोरी के

पुलिस टीम का विवरण-

उ०नि० संजय यादव मय हमराह उ०नि० ओमप्रकाश सिंह मय हमराह का० शत्रुघन थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना लीलापुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना लीलापुर के उ०नि० पवन वर्मा मय हमराह उ०नि० विपिन चन्द्र यादव, हे० का० नागेन्द्र प्रसाद द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, मुखबिर की सूचना पर केश न० 262/23 मु०अ०सं० 119/22 धारा 493/504/506 भादवि थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ से

संबंधित 01 वारंटी अभियुक्त सोनू वर्मा पुत्र रामप्रताप निवासी सरायताल मकईपुर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 32 वर्ष को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- सोनू वर्मा पुत्र रामप्रताप निवासी सरायताल मकईपुर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 32 वर्ष।

पुलिस टीम- उ0नि0 पवन वर्मा मय हमराह उ0नि0 विपिन चन्द्र यादव, हे0 का0 नागेन्द्र प्रसाद थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना लीलापुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म, छेड़खानी के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त दीपक हरिजन को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी लीलापुर श्री मनोज कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में उ0नि0 हरेन्द्र सिंह मय हमराह का0 अजय कुमार, का0 महेश कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारंटी, वांछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 74/127(2)/115(2)/352/351(3)/70B बीएनएस थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त दीपक हरिजन पुत्र स्व0 बेचे लाल निवासी पूरे बीरबल ढकवा थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष को थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत घूरीपुर, ढकवा मोड़ के पास बाग से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- दीपक हरिजन पुत्र स्व0 बेचे लाल निवासी पूरे बीरबल ढकवा थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण- उ0नि0 हरेन्द्र सिंह मय हमराह का0 अजय कुमार, का0 महेश कुमार थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा अपहरण, दुष्कर्म व पाँक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त संतोष कुमार पटेल उर्फ कटई को किया गया गिरफ्तार-

थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत रेलवे स्टेशन के पास से 01 अभियुक्त गिरफ्तार व पीड़िता को सकुशल बरामद किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्वक्षण में थाना प्रभारी मानिकपुर श्री नरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में व0उ0नि0 रामनारायण सिंह मय हमराह का0 संदीप पटेल, म0का0 पिकी यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वांछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 14/26 धारा-137 (2)/87 बीएनएस थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त संतोष कुमार पटेल उर्फ कटई पुत्र इन्दपाल निवासी कुशाहिलडीह थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष को थाना मानिकपुर क्षेत्रान्तर्गत रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार व पीड़िता को सकुशल बरामद किया गया तथा एक मोटर साईकिल धारा 207 एमबी एक्ट में सीज किया गया। मुकदमा उपरोक्त में पीड़िता के बयान धारा 180 बीएनएसएस के आधार पर धारा 64 (1) बी0एन0एस0 व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. संतोष कुमार पटेल उर्फ कटई पुत्र इन्दपाल निवासी कुशाहिलडीह थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-

व0उ0नि0 रामनारायण सिंह मय हमराह का0 संदीप पटेल, म0का0 पिकी यादव थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।